

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 450(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “साथ धर्मार्थ ट्रस्ट, ओ/102, नंदनवन - V, पर्नातीर्थ देरासर के निकट, जोधपुर, अहमदाबाद - 380015” द्वारा “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अद्यमवृत्ति प्रशिक्षण, आजीविका सहायता, कृषि और जल एकत्रण और पक्ष-समर्थन के क्षेत्रों में शहरी गंदी बस्तियों और ग्रामीण गांवों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “साथ धर्मार्थ ट्रस्ट, ओ/102, नंदनवन-V, पर्नातीर्थ देरासर के निकट, जोधपुर, अहमदाबाद - 380015” द्वारा चलाई जा रही “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अद्यमवृत्ति प्रशिक्षण, आजीविका सहायता, कृषि और जल एकत्रण और पक्ष-समर्थन के क्षेत्रों में शहरी गंदी बस्तियों और ग्रामीण गांवों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम” की परियोजना अथवा स्कीम को 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 80/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक़बन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)